न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 105/2025

प्रार्थी

श्री बाबुलाल पुत्र मुलाजी, जाति– पुरोहित, निवासी–मनोरा, तहसील व जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच/प्रशासक, ग्राम पंचायत, मनोरा, तहसील व जिला– सिरोही
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, मनोरा, तहसील व जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से।

–: निर्णयः– **दिनांक 12 मई, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस क्रमांकः 327 दिनांक 06–6–2025 व नोटिस क्रमांक 335 दिनांक 17–6–2025 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये एवं न ही अप्रार्थीगण की ओर से कोई जबाव प्रस्तुत हुआ। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) प्रकरण में दिनांक 08–5–2026 को प्रार्थी निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित की बहस सुनी गई। प्रार्थी निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों व तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम मनोरा, तहसील व जिला सिरोही के आबादी क्षेत्र में प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के कब्जे हक अधिकार की पुश्तैनी आबादी भूमि आई हुई है जिस पर उनका काफी पुराना कब्जा है तथा उक्त आबादी भूमि का उपयोग व उपभोग प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से कदीमी से किया जा रहा है। प्रार्थी के स्वामित्व की उक्त आबादी भूमि के पास में ही ग्राम पंचायत, मनोरा की आबादी भूमि होने से अप्रार्थीगण की मिलीभगत से श्रवण पुत्र वरदाजी पुरोहित ने बिना किसी हक अधिकार के उक्त आबादी भूमि पर अवैध कब्जा व अतिक्रमण कर प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य सदस्यों की राहमति व सूचना के बिना प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के हक अधिकार की आबादी भूमि की ओर उक्त श्रवण कुमार द्वारा अवैध कब्जा करने की कोशिश किये जाने पर प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने अपने खर्चे से उनकी पुश्तैनी आबादी भूमि को सुरक्षित करने व अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए लगभग 04 माह पूर्व उक्त आबादी भूमि के दोनो तरफ पक्की दिवार का निर्माण करवाया हैं। जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को प्रारम्भ से भलीभांति रही है। प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य सदस्य अपने व्यवसाय के सिलसिले में अपने परिवार सहित बाहर निवास करते है इसलिए उक्त दिवार बनाने के 03 माह बाद अप्रार्थीगण द्वारा उक्त श्रवण पुरोहित से षड्यन्त्र कर प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य सदस्यों की आबादी भूमि को हडपने के लिए तथा पंचायत की खाली पडी आबादी भूमि का अवैध पट्टा श्रवण के नाम जारी करने की

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

बदनियति से व श्रवण के अतिक्रमण को वैध ठहराने के आशय से प्रार्थी के नाम से एक नोटिस क्रमांक 327 दिनांक 06—6—2025 का प्रार्थी के WhatsApp पर 4 दिन बाद दिनांक 10—6—2025 को प्रेषित किया जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को सूचित किया कि प्रार्थी द्वारा श्रवण कुमार की पुश्तैनी आवासीय भूखण्ड के सामने ही खुली जगह पर अतिक्रमण करके अवैध निर्माण किया है तथा 03 दिन के भीतर प्रार्थी को सभी दस्तावेज पंचायत कार्यालय में पेश करने का निर्देश दिया एवं 03 दिवस के भीतर प्रार्थी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने की धमकी दी, इस नोटिस को पढने से स्पष्ट हो रहा है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के स्वामित्व की आबादी भूमि को अवैध तरीके से श्रवण कुमार को सुपूर्द करने के लिए दिनांक 06—6—2025 का नोटिस 4 दिन बाद दिनांक 10—6—2025 को WhatsApp के जरिये प्रेषित किया जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम में WhatsApp पर नोटिस भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। बावजूद इसके अप्रार्थीगण ने सुस्थापित विधिक सिद्धान्तो की अवहेलना कर उक्त नोटिस प्रार्थी को जारी किया गया होने से काबिले खारिज है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के उक्त नोटिस का जवाब प्रेषित किये जाने के बावजूद प्रार्थी के जवाब को नजरअंदाज कर अप्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 17—6—2025 को पुनः एक नोटिस प्रार्थी को WhatsApp पर प्रेषित किया जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को सूचित किया कि प्रार्थी ने सार्वजनिक गली/रास्ते में अवैध निर्माण किया हुआ है तथा उक्त निर्माण को 03 दिवस में प्रार्थी द्वारा हटाने, अन्यथा प्रार्थी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की सूचना दी। इस प्रकार इस नोटिस से अप्रार्थीगण की स्पष्ट मंशा प्रकट हो रही है कि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रेषित पूर्व नोटिस में प्रार्थी के द्वारा श्रवण के भूखण्ड़ के सामने खाली जगह पर अतिक्रमण करने का हवाला दिया और उक्त दूसरे नोटिस में प्रार्थी के निर्माण को सार्वजनिक रास्ते और गली में निर्माण बताया। जबकि अप्रार्थीगण द्वारा कब व किस आदेश से जाँच की गई उसका न तो कोई हवाला उक्त नोटिस में दिया एवं न ही श्रवण के भूखण्ड़ के संबंध में कोई दस्तावेज यथा विक्रय विलेख, पट्टा या अन्य दस्तावेज प्रार्थी के मांगने के बावजूद भी प्रार्थी को प्रदान किये। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ने केवल प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य सदस्यों की आबादी भूमि को अवैध तरीके से हडपने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त कागजी कार्यवाही पूर्ण की है तथा उस कार्यवाही के लिए श्रवण कुमार द्वारा फर्जी गवाह तैयार किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा जिन गवाहो के बयान को आधार बनाकर प्रार्थी के विरूद्ध नोटिस जारी करने का हवाला दिया था उक्त गवाहों द्वारा यह जाहिर किया गया है कि उन व्यक्तियों ने कभी भी श्रवण के पक्ष में कोई गवाही नहीं दी व न ही अप्रार्थीगण द्वारा उन गवाहो सें कोई पूछताछ की गई एवं श्रवण ने उन गवाहो के फर्जी हस्ताक्षर कर अप्रार्थीगण को भी गुमराह किया है। ऐसी स्थिति में झूठे गवाहों के आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी जाँच पडताल के केवल अवैध लाभ प्राप्त कर प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के स्वामित्व की आबादी भूमि से वंचित करने के लिए उक्त नोटिस जारी किया गया है, जो काबिले खारिज है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रेषित नोटिस से स्पष्ट हो रहा है कि श्रवण कुमार को प्रार्थी की आबादी भूमि के संबंध में कोई समस्या है या कोई वाद विवाद हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्तियों के मध्य सम्पत्ति संबंधी विवादो के संबंध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 में ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार का कोई हक अधिकार प्रदान नहीं किया है तथा निजी सम्पत्ति संबंधी विवादों का निपटारा सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही संभव है। ऐसी स्थिति में, इस प्रकरण में श्रवण पुरोहित को किसी भी प्रकार का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष लाभ देने या उसके समर्थन में कोई दस्तावेज तैयार करने का कोई हक अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं है। बावजूद इसके अप्रार्थीगण श्रवण पुरोहित की सिखावट व

.......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

प्रभाव में आकर प्रार्थी की उक्त आबादी भूमि पर कब्जे व उपयोग उपभोग में दखलंदाजी कर रहे है। जिसका कानूनन कोई हक अधिकर अप्रार्थीगण को नहीं है। अन्यथा भी उक्त आबादी भूमि प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के मालकी स्वामित्व व कब्जे शुदा होने के कारण प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य सदस्य उक्त भूखण्ड का मनचाहा उपयोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। जिसमें अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की दखलंदाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस जारी करने के बाद बार—बार अप्रार्थीगण से सम्पर्क कर प्रार्थी द्वारा दस्तावेज की मांग किये जाने के बावजूद भी जब अप्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेज प्रार्थी को प्रदान नहीं किये तब प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 10—7—2025 को एक विधिक नोटिस प्रेषित कर अप्रार्थीगण को अवैध कृत्य न करने तथा प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज सुपूर्द करने का निवेदन किया उस नोटिस की प्राप्ति के बावजूद भी न तो अप्रार्थीगण ने कोई दस्तावेज प्रार्थी को सुपूर्द किया व न ही प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी दी। बल्कि इसके विपरित अप्रार्थीगण प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य सदस्यों की आबादी भूमि से लगती हुई ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का अवैध तरीके से पट्टा उस श्रवण कुमार या उसके परिवार के सदस्य के नाम चोरी चुपके राजस्थान पंचायती राज नियम में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना करते हुए बिना किसी वैध प्रक्रिया के जारी करने की कोशिश करने लगे। जबकि अप्रार्थीगण का यह दायित्व है कि श्रवण कुमार के परिवार द्वारा पंचायत की आबादी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर उक्त भूखण्ड की निलामी की जावे जिससे ग्राम पंचायत को भी आय प्राप्त हो। उक्त विवादित भूखण्ड प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य सदस्यों की पुश्तैनी आबादी भूमि से लगता हुआ है तथा उक्त भूखण्ड़ पर वर्तमान में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य किया हुआ नहीं है व मौके पर खाली पडा हुआ है, न ही उस भूखण्ड़ पर श्रवण या उसके परिवार का कब्जा है व न ही विद्युत या जल कनेक्शन लिया हुआ है इसलिए उस भूखण्ड का पट्टा नियम 156 व 157 के तहत जारी किया जाना संभव नहीं है तथा न ही श्रवण व उसका परिवार भूमिहीन व्यक्ति हैं। उक्त श्रवण नामक व्यक्ति सक्षम व साधन सम्पन्न व्यक्ति होने के कारण नियम 158 के तहत भी पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त भूखण्ड को आम निलामी के जरिये ही विक्रय करने का एक मात्र विकल्प है तथा प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के अलावा अन्य लोग भी आम निलामी में भाग लेकर भूखण्ड़ को क्रय करना चाहते है। फिर भी इन सभी तथ्यों की अप्रार्थीगण को जानकारी होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण अपने विधिक व नैतिक कर्त्तव्य का उल्लंघन करते हुए उक्त भूखण्ड का पट्टा अवैध तरीके से श्रवण या उसके परिवार के सदस्यों के नाम जारी करने की फिराक में है। ग्राम पंचायत मनोरा द्वारा प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा अपने खर्चे से निर्मित दिवार को हटाने की कार्यवाही करने से पूर्व किसी भी प्रकार का कोई नोटिस या सूचना प्रार्थी के परिवार के अन्य सदस्यों को नहीं दी गई है एवं न ही प्रार्थी के परिवार के अन्य सदस्यों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही पैदा नहीं किया है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत मनोरा के सरपंच द्वारा अपनी मनमर्जी से एकतरफा नोटिस पत्र जारी कर प्रार्थी के परिवार के अन्य सदस्यों के विरूद्ध उक्त कार्यवाही की गई है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर उक्त दोनों नोटिसों को निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी की पुश्तैनी आबादी भूमि के पास स्थित ग्राम पंचायत की आबादी भूमि से उक्त श्रवण का अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित कर उक्त भूखण्ड़ का विक्रय निलामी के जरिये करवाये जाने के आदेश दिये जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा प्रार्थी

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

निगरानीकार बाबुलाल पुत्र मूलाजी पुरोहित के विरुद्ध एक नोटिस क्रमांक 327 दिनांक 06–6–2026 को इस आशय का जारी किया गया है कि श्रवण कुमार/वरदाजी, मनोरा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया है कि उसके पुश्तैनी आवासीय भूखण्ड़ के सामने खुली जगह पर आप द्वारा अतिक्रमण करके अवैध निर्माण कार्य किया गया है, इसलिये संबंधित भूमि के दस्तावेज 03 दिवस के अन्दर ग्राम पंचायत कार्यालय में पेश करे एवं नियत अवधि में दस्तावेज पेश नही करने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

तत्पश्चात् ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा प्रार्थी निगरानीकार बाबुलाल पुत्र मूलाजी पुरोहित, निवासी– मनोरा के विरुद्ध पुनः एक नोटिस क्रमांक 335 दिनांक 17–6–2025 को इस आशय का जारी किया गया है कि ग्राम पंचायत के पूर्व पत्र क्रमांक 327 दिनांक 06–6–2025 से आपको नोटिस जारी कर आप बाहर होने से व्हॉट्सप के जरिये भिजवाया गया था तथा जबाव व संबंधित भूमि के दस्तावेज पेश करने हेतु आपको सूचित किया गया था, जिसका आप द्वारा व्हॉट्सप से जबाव प्रस्तुत किया गया है जिसमें आपके द्वारा अतिक्रमित की गई भूमि के संबंध में कोई सुसंगत दस्तावेज पेश नही किये है, आप द्वारा सार्वजनिक गली/रास्ता में अवैध निर्माण किया है, इसलिये इस नोटिस प्राप्ति के 03 दिवस में उक्त सार्वजनिक गली/रास्ता से अतिक्रमण हटा लेवे, अन्यथा राजस्थान पंचायती राज नियमों के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण में ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा जारी उक्त दोनों नोटिसों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा प्रार्थी निगरानीकार बाबुलाल पुत्र मूलाजी पुरोहित, निवासी– मनोरा को पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक 327 दिनांक 06–6–2026 जो श्रवण कुमार/वरदाजी, मनोरा के प्रार्थना पत्र पर जारी किया गया था उसमें अतिक्रमित भूमि श्रवण कुमार/वरदाजी, निवासी–मनोरा के आवासीय भूखण्ड़ के सामने की खुली जगह पर होना बताया है। जबकि ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा प्रार्थी निगरानीकार बाबुलाल पुत्र मूलाजी पुरोहित, निवासी– मनोरा को पुनः जारी नोटिस क्रमांक 335 दिनांक 17–6–2025 में अतिक्रमित भूमि को सावर्जनिक गली/रास्ता भूमि होना बताया है। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि के मौके व रेकर्ड की सही रुप से जांच किये बिना ही प्रार्थी निगरानीकार बाबुलाल पुत्र मूलाजी पुरोहित को संबंधित भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में नोटिस जारी किये गये है एवं उक्त नोटिस से यह भी प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा प्रार्थी निगरानीकार बाबुलाल पुत्र मूलाजी पुरोहित, निवासी– मनोरा को नोटिस जारी करने से पूर्व, उक्त श्रवण कुमार / वरदाजी, निवासी– मनोरा के कब्जे के आवासीय भूखण्ड़ के दस्तावेजों की भी जांच नही की गई है। जबकि प्रार्थी निगरानीकार बाबुलाल पुत्र मूलाजी पुरोहित, निवासी– मनोरा ने निगरानी आवेदन में अतिक्रमित भूमि व श्रवण कुमार के कब्जे की भूमि को खुला भूखण्ड़ होना बताते हुए नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने का उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति में, प्रकरण ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा पक्षकारान को सुनकर विवादित/अतिक्रमित भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करके पुनः विधि अनुरुप कार्यवाही करने हेतु ग्राम पंचायत, मनोरा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत, मनोरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा पक्षकारान को सुनकर, विवादित/अतिक्रमित भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करके पुनः विधि अनुरुप कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12 मई, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति0 जिला कलेक्टर, सिरोही